186

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

CAN COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R 73-I/08

§1§ रामगणेश

§2§ राजाराम

§3§ रामबिहारी

सभी के पिता हीरालाल द्विवेदी निवासी ग्राम रंगवा तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 --- आवेदक

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि0 25-1-08 को प्रस्तुत। सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

बनाम

§1§ रामकली बेवा जगन्नाथ

§2§ कामता प्रसाद § जगन्नाथ

§3§ अशोक कुमार §

§4§ रमेश कुमार §

§5§ रामवती तनय महेश प्रसाद

§6§ मानवती बेवा मुनेश्वर प्रसाद

सभी निवासी ग्राम रंगवा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

----- अनावेदकगण।

मुकेश भार्गव 25-1-08 एडवोकेट ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री वी0के0 सिंह अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा बावत राजस्व अपील क्रमांक 478/अपील/02-03 आदेश

क्रमशः-2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 73–एक/08 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–16	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक ने प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 478/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2007 3/ प्रकरण का संक्षेप सार है कि आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में विवादित आराजी के नामांतरण हेतु आवेदन–पत्र मय कब्जी बेची टीप का संहिता की धारा 109–110 के तहत प्रस्तुत किया गया है । विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.11.02 से आवेदकगण का आवेदन–पत्र स्वीकार कर लिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 15.07.03 को अपील स्वीकार करते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । प्र0क्र0 478/अपील/2002–03 पंजीबद्ध किया गया	

तथा पारित आदेश दिनांक 12.12.2007 को अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण सारहीन मानकर निरस्त किया गया । अपर आयुक्त रीवा के उक्त आदेश दिनांक 12.12.2007 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नामांतरण हेतु कोई म्यांद निर्धारित नहीं है, जबकि विक्रय–पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कब्जा 12 वर्ष से अधिक का आवेदकगण के पिता व बाद में बफाज वारिसान आवेदकगण का कब्जा दखल है जो कब्जा मुखलफाना भी नामांतरण का विधिक आधार है तथा मौखिक एवं लिखित साक्ष्य खण्डन किसी भी तरह से आवेदकगण द्वारा नहीं है । अनावेदक का खसरा कॉलम नं. 3 में बिना किसी आधार के साक्ष्य न्यायालय के आदेश के ही मूल भूमिस्वामी के बगैर अन्तरण के ही आवेदक काबिजदार क्रेतागण को सूचना जानकारी के बगैर ही नाम दर्ज होने के आधार को मानकर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विक्रय पत्र के वास्तविक तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष दिया और जिसे द्वितीय अपीली न्यायालय अपर आयुक्त रीवा ने स्थिर रखा है । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमि की स्थिति को विक्रय पत्र में साक्षियों ने प्रमाणित किया है किन्तु टीप में उस स्थिति पर विचार नहीं किया है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि आवेदकगण द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज की छायाप्रति के आधार पर नामांतरण का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था । भूमि का विक्रय मूल्य 65/–रुपये है और इस कच्ची बेची टीप में विक्रीम भूमि का उल्लेख नहीं है। विचारण न्यायालय में आई न्यायालयीन साक्ष्य से भी कच्ची बेची टीप प्रमाणित नहीं है । आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में अत्यधिक विलंब से भी नामांतरण का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिस कारण से भी कच्ची बेची टीप संदेहस्पद प्रतीत होती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश एवं दस्तावेज का परीक्षण कर विधिवत निष्कर्ष दिया गया है जिस पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 12.12.2007 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखित रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य